# न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

**वाद संख्या- 05/2023 (द0प्र0सं0 की धारा 147)**

**नरेश सिंह वगै0 ---------- प्रथम पक्ष**

**बनाम्**

**दिलीप सिंह वगै0 ---------- द्वितीय पक्ष**

## आदेश

21/2/25

आवेदक नरेश सिंह वगैरह के आवेदन तथा अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने के उपरान्त संतुष्ट होकर अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित भूमि पर रास्ते के सुखापभोग को लेकर उत्पन्न विवाद तथा विवादजनित तनाव के रोकथाम हेतु द0प्र0सं0 की धारा 147 के तहत् कार्यवाई आरंभ किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

| |
|---|
| मौजा- खैरीडीह, थाना / अंचल - बिरनी, जिला- गिरिडीह<br>खाता नं0- 208, प्लॉट नं0- 2217 अंतर्गत रास्ता जिसका आयाम (Dimension) उत्तर से दक्षिण 25 फीट (लंबाई) तथा पूरब से पश्चिम 10 फीट (चौड़ाई) जिसकी चौहद्दी उ0- रास्ता, द0- निज, पू0 तथा प0- परती कदीम |

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष नरेश सिंह एवं अन्य अपने आवेदन मे कहते है कि उनकी खतियानी रैयती जमीन खाता नं0 243 प्लॉट नं0 2226 रकबा 11 डी0 के तीन तरफ से प्लॉट सं0 2217 परती कदीम गैरमजरूआ जमीन है तथा प्रथम पक्ष उसी से होकर अपने खेत-बारी जाते हैं। उक्त रास्ते को द्वितीय पक्ष द्वारा चहारदीवारी देकर बन्द कर दिया गया है। अपने दावे के समर्थन में प्रथम पक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खतियान की छायाप्रति, नक्शा की छायाप्रति एक ऑफलाइन रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में स्पष्ट करते है कि किसी रास्ता को बन्द नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा अपने जमाबन्दी की जमीन पर पेड़-पौधा इत्यादि लगाया गया है तथा चहारदीवारी दी गई है।

21/2/25

अंचल अधिकारी बिरनी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्रतिवेदन (पत्रांक 589 दिनांक 17.07.2023), पुनः प्रेषित प्रतिवेदन (पत्रांक 567 दिनांक 01.06.2024) तथा द0प्र0सं0 की धारा 148 के तहत local enquiry प्रतिवेदन का अध्ययन किया। उपरोक्त तीनों प्रतिवेदन के अनुसार विवादग्रस्त रास्ते की जमीन गैरमजरूआ खास खाते की है तथा किस्म जमीन परती कदीम (अडवार) है। द्वितीय पक्ष के जमीन की जमाबन्दी पाई गई है। विवादित प्लॉट को आंशिक रूप से घेरा गया है। दीवार लगभग 3 वर्ष पूर्व दिया गया है। द्वितीय पक्ष के अपने रैयती जमीन पर जाने हेतु तीन तरफ से रास्ता खुला है।

अंचल अधिकारी बिरनी द0प्र0सं0 की धारा 148 के तहत local enquiry प्रतिवेदन निम्नवत् प्रस्तुत करते है :-

(1) विवाद से पूर्व विवादित भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में नही होते आ रहा है।

(2) विवादित भूमि का उपयोग सालों भर नही होता आया है।

(3) उक्त विवादित भूमि के अलावे ग्रामीण तीनों तरफ से रास्ता का उपयोग करते है प्रथम पक्ष भी तीनों तरफ से रास्ते का उपयोग कर सकते है। तीनों तरफ से रास्ता खुला है।

मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रथम पक्ष के गवाह सं0 01 नरेश सिंह स्वयं पक्षकार भी है तथा अपनी गवाही में कहते है कि विवादित जमीन के पीछे उनकी रैयती भूमि है तथा विवादित भूमि खतियानी अड़वार है तथा जानवर चराने के काम आता था। उस अडवार से मेरी रैयती जमीन पर जाने के रास्ते को ईट का दीवार देकर द्वितीय पक्ष के द्वारा बन्द कर दिया गया है।

प्रथम पक्ष के गवाह सं0 02 प्रकाश सिंह अपनी गवाही में कहते है कि रास्ता अडवार जमीन पर था जिसको तीन तरफ से घेर दिया गया है चौथे तरफ उँचा भीड है जिसके कारण रास्ता बन्द हो गया है।

प्रथम पक्ष के गवाह सं0 03 रोहन कुमार सिंह अपनी गवाही में कहते है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि अंचल अधिकारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन दिया गया है।

द्वितीय पक्ष के गवाह सं0 01 ललन सिंह स्वयं विपक्षी सं0 01 है तथा वे अपनी गवाही में कहते है कि विवादित प्लॉट में कोई सर्वे रास्ता नही था।

द्वितीय पक्ष के गवाह सं0 02 प्रमोद सिंह कहते है कि प्रथम पक्ष का रास्ता बन्द नही है प्रतिपरीक्षण में कहते है कि उक्त विवादग्रस्त जमीन के पूरब तथा पश्चिम दिशा खाली है तथा एक तरफ घेरा गया है जिस कारण विवाद हुआ है।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा, प्रत्युत्तर, राजस्व कागजातों के अध्ययन

/ अवलोकन, अंचल अधिकारी बिरनी के प्रतिवेदन का अध्ययन, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षीगण के मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण को सुनने के उपरांत मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम पक्ष अपने घर से बारी (खेत) तक जाने हेतु गैरमजरूआ खास (अडवार) जमीन का उपयोग करते थे उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष द्वारा आंशिक रूप से चहारदीवारी देने से उनका रास्ता अवरूद्ध हुआ है परन्तु स्थानीय जाँच से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त जमीन पर तीनों तरफ से रास्ता खुला है तथा प्रथम पक्ष अपनी रैयती जमीन पर जाना-आना कर सकते है अत: प्रथम पक्ष का रास्ते का अवरोध संबंधी दावा प्रमाणित नहीं होता है। अत: प्रथम पक्ष के हित में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

परन्तु चुँकि भूमि गैरमजरूआ खाते की है तथा किस्म जमीन अड़वार है अत: अंचल अधिकारी बिरनी को मौजा खैरीडीह खाता नं0 208 प्लॉट नं0 2217 रकबा 11.40 एकड़ के सभी जमाबंदियों की सूक्ष्मता से जाँच करने का निर्देश दिया जाता है ताकि उक्त भूमि पर यदि कोई अवैध कब्जा या अतिक्रमण है तो उसे हटाया जा सके।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी बिरनी तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बगोदर-सरिया को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

21/2/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

21/2/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.05.28 17:20:02 +05:30
Location: 192.168.1.6